

8<sup>3</sup>/<sub>23</sub>

पत्रावली पेश हुई। आज अधिवक्ता ने कार्य  
संबंधित कर रखा है। पत्रावली पूर्व आवेदनसुधार  
दिनांक 17.4.23 को पेश है।

17<sup>04</sup>/<sub>23</sub>

पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। बीरसैन अधिकारी  
आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वदेशानुसार  
दिनांक 19/7/23 को पेश हो।

3<sup>7</sup>/<sub>23</sub>

पत्रावली आज सिविल तहसील आवेदन पर पेश हुई।  
तहसीलदार का विभाजन प्रस्ताव क्रमांक प्र-क्र./2023/  
1545 दि. 04.04.23 प्राप्त हो चुका है। तहसीलदार  
उक्त अनुयायन कार्रवाई दिक्की दि. जाने पर तहसील  
दी जाता तहसीलदार के विभाजन प्रस्तावानुसार एवं  
तहसील की शर्तों के अनुसार दिक्की दी जायेगी  
दिक्की जारी का आवेदन सिविल को गयी पर  
अंतराल अनुयायन होकर वापस है का जो दिक्की  
उपलब्ध है। दिक्की आज सुबह न्यायालय में भेजे  
है। तहसील दि. अनुयायन गमा।

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी— श्री जय कौशिक (आर.ए.एस)

दावा संख्या 340 / 2022

1. बिमला देवी पत्नि ताराचन्द्र
2. सुरज्ञान देवी पत्नि बलबीर जाति गुर्जर निवासीगण दुला की ढाणी तहसील व जिला सीकर

—वादीगण—

बनाम

- 1- किशोर सिंह पुत्र रिछपाल सिंह
- 2- सुगन कंवर पत्नि रिछपाल सिंह
- 3- गिरवर सिंह
- 4- मनोहर सिंह
- 5- रघुवीर सिंह
- 6- रामसिंह पुत्रगण इन्द्रसिंह
- 7- कमल कंवर
- 8- राज कंवर
- 9- संतोष कंवर
- 10- सुयार कंवर
- 11- सुमन कंवर पुत्रियां इन्द्रसिंह
- 12- सुमन कंवर पत्नि इन्द्रसिंह
- 13- जिवराज सिंह दत्तक पुत्र नानसिंह
- 14- दीपसिंह
- 15- मदनसिंह
- 16- रणजीत सिंह पुत्रगण हरदेव सिंह
- 17- धापू कंवर पत्नि हरदेव सिंह
- 18- भागीरथसिंह पुत्र रणजीत सिंह
- 19- मोहन कंवर पत्नि देवी सिंह
- 20- शोभ सिंह पुत्र छोग सिंह
- 21- समुद्र सिंह पुत्र छोग सिंह
- 22- सुनिल कंवर पत्नि जुगलसिंह
- 23- सुमन कंवर पत्नि महेन्द्र सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण दूर्गापुरा तहसील व जिला सीकर ।
- 24- राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा पिपराली

15  
न्यायालय अधिकारी, सीकर

- 25- बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक गिपराली  
 26- बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा गोकुलपुरा  
 27- तहसीलदार, सीकर

— प्रतिवादीगण—  
दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अंठ धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी  
अधिनियम 1955

तहसीलदार सीकर के विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भू.अ/2023/1545 दिनांक 04.04.2023 के अनुसार वकील वादीगण की सहमति से अंतिम डिक्री दी जाती है। विभाजन प्रस्ताव डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार इसी अनुसार अमल दरामद व तरमीम करें।

(जय कौशिक)  
 सीकर  
 लक्ष्मण्ड अधिकाारी सीकर

वाद के खर्चे		प्रतिवादी	
वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	5.00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	36.00
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	36.00	प्लीडर की फीस	
4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़	41.00	जोड़	36.00

आज तारीख 3-7-23 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

लक्ष्मण्ड अधिकाारी सीकर